कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 (2) 2016 / कार्मिक–भर्ती / प्रमुवसं / 10066–81 दिनांक 23-8-2016

निमित्त,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन वर्धन जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक
जयपुर / बीकानेर / जोधपुर / भरतपुर / अजमेर / कोटा / उदयपुर।
मुख्य वन सरंक्षक (वन्य जीव) जोधपुर / (वन्य जीव) कोटा / (वन्य जीव) भरतपुर / / (वन्य जीव) उदयपुर / (वन्य जीव) जयपुर / मुख्य वन संरक्षक, (वन्यजीव) सरिस्का।
मुख्य वन संरक्षक, आर.वी.पी. कोटा।
मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य जयपुर।

विषय :– वनपाल / वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2015–16 में नियमानुसार अभ्यर्थियों की चयनित आरक्षित सूची में से नियुक्ति देने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 के नियम 30(5)(III) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत की सीमा तक उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची रखी जाने तथा समिति द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की योग्यता क्रम में सिफारिश, उस तारीख से जिसको मूल सूची समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित की जाती है, 6 माह के भीतर–भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को किये जाने का प्रावधान है।

आपके संभागाधीन वन मण्डलों में वनपाल / वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2015–16 में वनपाल / वनरक्षक के वन मण्डलवार विज्ञापित रिक्त पदों के विरूद्ध अंन्तिम रूप से सफल चयनित अभ्यर्थियों द्वारा वनपाल / वनरक्षक के पद पर उपस्थिति नहीं दिये जाने के फलस्वरूप पद रिक्त रहने पर नियमानुसार रखी गई आरक्षित सूची में से योग्यता क्रम के अनुसार विज्ञापित वनपाल / वनरक्षकों के अवशेष रिक्त रहे पदों के विरूद्ध नियुक्ति प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि वनरक्षक / वनपाल के पद रिक्त न रहें। यह अति आवश्यक हैं।

भवदीय,

(दीपक भटनागर)
अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान जयपुर